



AHC:125715:2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18700 दिनांक 2026

राम बाबू यादव

आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य

विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : आनन्द जी मिश्रा, कौशल कुमार पांडे

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद जी मिश्रा और श्री कौशल कुमार पांडे तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत आवेदन मामले संख्या 43/2026, बी.एन.एस. की धारा 69 के तहत, पुलिस स्टेशन मयोरपुर, जिला सोनभद्र में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने विवाह के झूठे वादे पर प्रथम सूचनादाता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे और पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह 2018 से 2024 तक आवेदक के साथ सहमति से संबंध में थी और घटना 2024 में घटी थी, हालांकि, एफआईआर दो साल की देरी के बाद 2026

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में दर्ज की गई थी। यह भी ध्यान दिया गया है कि बीएनएसएस के प्रावधान 2018-2024 की अवधि के दौरान लागू नहीं थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 03.04.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने विवाह के झूठे वादे पर प्रथम सूचनादाता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह 2018 से 2024 तक आवेदक के साथ सहमति से संबंध में थी और घटना 2024 में घटी थी। हालांकि, एफआईआर दो साल की देरी के बाद 2026 में दर्ज की गई थी और बीएनएसएस के प्रावधान 2018-2024 की अवधि के दौरान लागू नहीं थे। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 3 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038 मामले में शीर्षस्थ न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी आनलाइन एससी आल 6765 मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **राम बाबू यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जमानत देने की **नीति रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के मामले में, दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार**, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **सोनभद्र जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा आवेदक को 24 घंटे के भीतर भेज दे।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(जितेन्द्र कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

आरकेएम

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।